संख्या-33/2023/001-443-2355589-2023-12-5002-002-5-2023

प्रेषक,

राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 277-शिक्षा, 03-राजकीय कृषि विद्यालय योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प्रशि0/532/पुनर्विनियोग/2022-23, दिनांक 16-03-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 277-शिक्षा, 03-राजकीय कृषि विद्यालय योजनान्तर्गत मानक मद 01-वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 538.33 लाख के सापेक्ष हो रही बचत से रू0 2.60 लाख, प्रश्नगत योजनान्तर्गत ही मानक मद **49-चिकित्सा व्यय मद में 2.60 लाख (रूपये दो लाख साठ हजार मात्र) के पुनर्विनियोग** की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित **आर.ई.संख्या–बजट-1-635 दिनाँक 25.03.2023 में प्रदत्त सहमति** के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।
(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(5) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व विभाग का होगा।
(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,60,000 (रुपये दो लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय **मानक मद** 49 चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

संख्या-33/2023/001-443-2355589-2023-12-5002-002-5-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
5-संबंधित जनपदीय मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
7- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A012-20222023-443-2355589-2023-12-5002-002-5-2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 277-शिक्षा, 03-राजकीय कृषि विद्यालय योजना के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2415012770300 (राजकीय कृषि विद्यालय)	01 (वेतन)	5,38,33,000 रुपये पांच करोड़ अड़तीस लाख तैंतीस हजार मात्र	3,93,000 रुपये तीन लाख तिरानवे हजार मात्र	-2,60,000 रुपये दो लाख साठ हजार मात्र	5,35,73,000	2022-2023

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2415012770300 (राजकीय कृषि विद्यालय)	49 (चिकित्सा व्यय)	13,00,000 रुपये तेरह लाख मात्र	2,60,000 रुपये दो लाख साठ हजार मात्र	15,60,000	2022-2023

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-3 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों मे है :-
अ-वास्तविक माँग के आधार पर बचत है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यायाधिक्य निम्नलिखित कारणों से है :-
ब-कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय के भुगतान हेतु आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-सचि-5-635 -2022-23, दिनांक- मार्च, 2023 25-मार्च-2023

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

Signed by नीलेश कुमार सिंह
Date: 25-03-2023 14:39:45
Reason: Approved

(अमर चन्द)
अनु सचिव

(नीलेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या :443-2355589-2023 28-3-2023 > दिनांक- मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) जनपदीय वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (वी0 एम 0-9 तीन प्रतियों में)।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(9) गार्ड बुक।

Signed by अमर चन्द्र
आज्ञा से
Date: 21-03-2023 18:07:42
(अमर चन्द्र)
Reason: Approved
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।